न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./8581/2006/बूंदी

1– महावीर पिसरान स्व0 श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फौलाई, तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी
2– कल्याण पिसरान स्व0 श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फौलाई, तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी
3– श्रीमती गीता पुत्री स्व0 श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण, पत्नी श्री पन्नालाल ब्राह्मण, निवासी ग्राम बलीता, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4– श्रीमती प्रकाश पुत्री स्व0 श्री नंदकिशोर जाति ब्राह्मण, पत्नी श्री महावीर, जाति ब्राह्मण, निवासी खटकड, जिला बूंदी

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– बाबूलाल आत्मज श्री नृसिंहलाल जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फालाई, तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी
2– सत्यनारायण मृतक बाबूलाल जाति ब्राह्मण, कथित दत्तक पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम फौलाई तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील के0 पाटन, जिला बूंदी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्रीमती कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
श्री दूनीचंद ढिढारिया, विद्धान अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री माधवराज, विद्धान अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 29–01–2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या–48/2006 बउनवानी बाबूलाल बनाम महावीर में पारित निर्णय दिनांक 11–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/ अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, कि0 पाटन जिला बूंदी के न्यायालय में

प्रतिवादीगण/रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 में विभाजन आराजी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फौलाई तहसील कि0 पाटन जिला बूंदी में वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 89 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा खसरा नंबर 252 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 0259 रकबा 8 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 288 रकब 4 बीघा 17 बिस्वा एंव खसरा नंबर 226 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसके खातेदार संवत 2045 से 2048 की जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी संख्य- 1 एवं रामस्वरूप (वादी के भ्रातागण) थे। रामस्वरूप लाऔलाद फौत हो चुका है। इस प्रकार उक्त 55 बीघा 13 बिस्वा भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या- 1 1/2-1/2 जमीन के खातेदार है। उक्त भूमि का सेटलमेन्ट के खसरा नंबर 256 रकबा 0.76 है, खसरा नंबर 266 रकबा 2.03 है, खसरा नंबर 155 रकबा 0.18 है, खसरा नंबर 257 रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 318 रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 364 रकबा 0.04 है, खसरा नंबर 366 रकबा 1.37 है, खसरा नंबर 368 रकबा 0.93 है कुल किता 8 कुल रकबा 5.45 है। प्रतिवादी स0- 1 ने फौलाई की जमीन के संबंध में ही एक वाद बटवारा भुमि सहायक जिलाधीश महोदय बून्दी से दिनांक 09-01-1970 को निर्णित करवाया है जिसके अन्तर्गत पुराने खसरा नंबर 59 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा में से आधा हिस्सा पूर्वी दिशा की बाबूलाल प्रतिवादी स0 1 के खाते बाधवाने का आदेश दिया गया था। बाबूलाल के हिस्से में आने वाले खेत का नम्बर बाद में 288 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा हो गया है। इसके अलावा प्रतिवादी स0- 1 बाबूलाल के कब्जे में खसरा नंबर 226 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा ग्राम फ़ोलाई भी है। इस प्रकार कुल 17 बीघा 6 बिस्वा पर प्रतिवादी स0 1 का कब्जा है। तथा शेष भुमि वादी की मल्कियत व कब्जे की है। प्रतिवादी संख्या- 1 ने सटलमेन्ट वालो से मिलकर अपने पुत्र सत्यनारायण को श्री रामस्वरूप का दत्तक पुत्र बताकर एक फर्जी वसीयत के आधार पर रामस्वरूप के बजाय की जमीन का इन्तकाल प्रतिवादी संख्या- 02 सत्यनारायण के नाम खुल लिया जबकि सेटलमेन्ट वालो को इस प्रकार इतकाल खोलने के कोई अधिकार नही है। यह इन्तकान स0 14 दिनांक 13-02-1996 को खोला जाना बताया गया है जो कानून को दृष्टि में अवैध्य होने से बेअसर शून्य है। अतः विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 155, 257, 318, 364, 366 कुल रकबा 2.64 है0 का वादी को खातेदार एकल रूप से घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावे तथा खसरा नंबर 266 रकबा 2.03 है0 भूमि का सहखातेदार घोषित किया जावे व आधे हिस्से का विभाजन करके वादी के खाते बांधी जावे व कब्जा दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार

पर बारह तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक व दस्तावेजी लिपिबद्ध करने के उपरान्त बहस सुनकर निर्णय दिनांक 05-06-2006 से वादी/अपीलांट का वादपत्र डिक्री किया एवं प्रतिवादी/रैस्पोडेन्ट का काउंटर क्लेम खारिज करने के आदेश पारित किए। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11-10-2006 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में केवल तनकी नंबर-9 का ही विवाद है और अन्य तनकियों पर सहमत है। मृतक रामस्वरूप ने दिनांक 24-11-1994 को वसीयत करना बताया है और उसके तीन दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। सत्यनारायण को अपना गोद पुत्र बताया है लेकिन गोदपुत्र साबित नहीं है। डीडब्लयू 1,2,3 रामस्वरूप को स्वस्थ होना बताते है जबकि डीडब्लयू - 4 शम्भूलाल एक माह से बीमार होना बताया है दोनों के बयानों में विरोधाभास है। दिनांक 27-11-1994 को मृत्यु होना बताया है। वसीयत पर हस्ताक्षर है जो पूर्व के हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते है। वसीयत सिद्ध करने का काम सिविल न्यायालय का है, राजस्व न्यायालय वसीयत को तय नहीं कर सकता इसलिए उक्त वसीयत के आधार पर की गई डिक्री को अपास्त किया जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया है कि वादी का वाद दिनांक 05-06-2006 को डिक्री किया गया था और काउंटर क्लेम खारिज किया गया था। राजस्व अपील प्राधिकारी में एक अपील की है। मैने वसीयत को सिद्ध की है, निष्पादन हुआ है। प्रमाणिकता तो सिविल न्यायालय ही जांच करेगा। वसीयत को न मानने का कोई कारण नहीं है। वसीयत चाहे रजिस्ट्रर्ड हो अथवा अनरजिस्ट्रर्ड हो कोई प्रभाव नहीं पडता है। गोदपुत्र होना तय नहीं हुआ है केवल वसीयत के आधार पर ही दावा डिक्री किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

9- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

10- मंडल हाजा के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सादे कागज पर लिखी गई वसीयत विधि द्वारा मानने योग्य है और क्या अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार है।

11– प्रस्तुत प्रकरण में पीडब्लयू– 1 रामकल्याण ने सत्यनारायण को रामस्वरूप जी का गोदपुत्र होना और उसके हक में वसीयत होना अपने विवेचनों में इनकार किया है और उसमें बीमार होना भी बताया है लेकिन साक्ष्य में डीडब्लयू– 1 बाबूलाल ने मृतक रामस्वरूप द्वारा उक्त वसीयत सत्यनारायण के हक में करना और प्रारंभ से ही सत्यनारायण का उसके पास में रहना बताया है। वसीयत के संबंध में अन्य गवाह डीडब्लयू – 2 भी साक्ष्य में पेश हुआ है जिसने कथन किया है कि उसके द्वारा ही मृतक रामस्वरूप का क्रियाक्रम किया गया था और खर्चा उसके पिता द्वारा वहन किया गया था और उसके पक्ष में वसीयत की गई थी। वसीयत के गवाह डीडब्लयू– 3 नारायण शर्मा ने कथन किया है कि वसीयत रामस्वरूप द्वारा लिखवाई गई थी और उस पर भी मेरे हस्ताक्षर है। ए से बी रामस्वरूप के हस्ताक्षर है और ई से एफ बद्री के हस्ताक्षर है जिसका देहान्त हो गया है इसी प्रकार अन्य साक्ष्य डीडब्लयू– 4 शंभूलाल गुर्जर ने कथन किया है कि वसीयत के समय रामस्वरूप जी स्वस्थ थे और जी से एच पर मेरे हस्ताक्षर है। अन्य लिखने वाले व्यक्ति बद्रीलाल मीणा का देहान्त हो गया है। इस गवाह ने अपने बयानों में मौके पर आठ से दस व्यक्तियों की उपस्थिति होना भी बयानों में बताया है अर्थात् वसीयत का निष्पादन होना इन गवाहों ने साबित किया है। वसीयत की वैधता सिविल न्यायालय से तय हो सकती है लेकिन वसीयत का निष्पादन होना उभयपक्ष के साक्ष्यों से स्पष्ट है और जब वसीयत का निष्पादन साबित है तो जब तक उसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त या शून्य घोषित नहीं किया जावे तब तक उसका प्रभाव रहेगा। वसीयत के निष्पादन को साबित करने के लिए दस्तावेज लिखने वाले या हस्ताक्षर करने वाले में से कम से कम एक व्यक्ति द्वारा साबित करना आवश्यक है। सादे कागज पर वसीयत हो सकती है केवल मात्र धारा 68 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार वसीयत का कम से कम एक एटेस्टींग विटनेस का होना आवश्यक है और इस प्रकरण में तो डीडबल्यू– 3 नारायण व डीडबल्यू– 4 शंभूलाल गुर्जर ने वसीयत अपने सामने निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर करना और स्वयं द्वारा भी वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करना प्रमाणित किया है और शंभूलाल ने यह भी स्पष्ट किया है कि रामस्वरूप जी ने कहा कि सत्यनारायण शुरू से ही मेरे पास रहा है और मेरा गोदपुत्र है, मेरे मरने के बाद संपति का विवाद नहीं हो इस कारण उन्होंने अध्यापक श्री बद्रीप्रसाद जी वर्मा से उक्त वसीयतनामा लिखवाया उस वक्त रामस्वरूप जी स्वस्थ थे। वसीयत प्रदर्श ए–8 पर रामस्वरूप जी के हस्ताक्षर ए से बी है मेरे दस्तखत जी से एच है और मास्टर साहब के हस्ताक्षर ई से एफ है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तनकी नंबर 3 और 9 के द्वारा वसीयत मानते हुए निष्कर्ष दिया है जोकि तथ्यों और विधिनुसार सही है। इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा जो निर्णय के पैरा नंबर 10 में जो निष्कर्ष दिया गया है और प्रारंभिक डिक्री

जारी करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रेषित की गई है उस आदेश में कोई अवैधता व अनियमितता नहीं है और यह निर्णय पुष्टि किए जाने योग्य है।

12- परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 8581/2006 बउनावनी महावीर बनाम बाबूलाल खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या-48/2006 बउनवानी बाबूलाल बनाम महावीर में पारित निर्णय दिनांक 11-10-2006 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य